समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या–124 / 2022–23

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

–बनाम्–

अजित बाउरी एवं अन्य

–::आदेश::–

03.07.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–16 / 2023, दिनांक–14.02.2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि पेंक नारायणपुर थाना कांड सं0–19 / 2021, दिनांक–20.03.2021, धारा–414 / 34 भा0द0वि0 एवं 30 (ii) कोल माईन्स एक्ट के अन्तर्गत जप्त 1. बजाज डिस्कवर मोटर साईकिल रजि0 नं0–JH09F-3667 एवं उस पर लदा करीब 12 बोरी कच्चा कोयला वाहन मालिक अजित बाउरी, पिता निरंजन बाउरी सा0–घोरंगो कॉलानी, क्वा0सं0–MQ-150, ढोरी कोलयरी, फुसरो, बोकारो 2. बजाज मोटरसाईकिल चेचिस सं0–MD2DSDZZNCH 15408 एवं ईंजन सं0–SGBNH96134 उस पर लदा करीब 12 बोरी कच्चा कोयला 3. बजाज मोटर साईकिल चेचिस–DHVBL06485 बाकी घिसा हुआ, एवं ईंजन सं0–DHGBLJ05912 उस पर लदा करीब 12 बोरी कच्चा कोयला 4. पैशन प्रो मोटर साईकिल रजि0 सं0–JH09U-4963 एवं उस पर लदा करीब 12 बोरी कच्चा कोयला वाहन मालिक श्री दशरथ मुर्मू, पिता चेतो मुर्मू, सा0+पो0–गोनियाटो, नावाडीह, जिला बोकारो 5. बजाज मोटर साईकिल रजि0 नं0–JH09G-0596 एवं उस पर लदा करीब 12 बोरी कच्चा कोयला वाहन मालिक श्री लक्ष्मण साव, पिता किशुन साव सा0–पुरनी केन्दुआडीहए खरकी विष्णुगढ़, जिला हजारीबाग 6. होण्डा साईन मोटरसाईकिल रजि0 सं0–MH04EG-5696 एवं उस पर लदा करीब 12 बोरी कच्चा कोयला के विरूद्ध अवैध खनन एवं परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप उनके The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं प्रत्येक वाहन पर

लदा 12 बोरी अवैध कच्चा कोयला को राजसात् की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

वाद का सारांश है कि दिनांक–20.03.2021 को सुबह 10:00बजे पुलिस बल के द्वारा दिवा गस्ती एवं अवैध कोयला तस्करों के विरूद्ध छापेमारी के क्रम में बुड्गडडा मोड़ पहुँचा तो देखा कि कुछ लोग मोटरसाईकिल पर बोरी में कोयला लोड कर ग्राम कंजकिरो मुख्य सड़क से बुड्गडडा मोड़ की ओर आ रहे है। पुलिस बल को देखकर सभी मोटरसाईकिल चालक मोटरसाईकिल को सड़क पर गिराकर झाड़ी के तरफ भागने लगे। पुलिस कर्मियों के सहयोग से एक व्यक्ति को पकड़ा गया और अन्य लोग झाड़ी का लाभ लेकर भागने में सफल रहे। पकड़े गए व्यक्ति से पुछताछ करने तथा वाहन एवं कोयले के संदर्भ में कागजात माँगे जाने पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। सड़क पर गिरे मोटरसाईकिल के पास पहुँचा तो देखा कि 6(छः) मोटरसाईकिल सड़क पर गिरा है और सभी पर बारह–बारह बोरी कुल करीब 03 टन कच्चा कोयला लोड था। तत्पश्चात विधिवत रूप से जप्ती सूची बना कर जप्त वाहन एवं उस पर लदा कोयला तथा वाहन के मालिक/चालक के विरूद्ध पेंक नारायणपुर थाना में काण्ड दर्ज किया गया।

उक्त के क्रम में अभिलेख में उपलब्ध तीन वाहन के मालिकों को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया एवं शेष तीन का पता उपलब्ध नहीं रहने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो से वाहन मालिक के संदर्भ में प्रतिवेदन की माँग की गई।

सूचना प्राप्त करने के पश्चात प्रतिवादी सं0–5 श्री लक्ष्मण साव के द्वारा मात्र उपस्थिति दर्ज की गई लेकिन अब तक अपने बचाव किसी भी प्रकार का कारण–पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। प्रतिवादी सं0–1 एवं 5 सुनवाई के दौरान पुकार पर लगातार अनुपस्थित है। विपक्षी सं0–02, 04 के वाहन मालिकों का पता ऑनलाईन प्रदर्शित नहीं होने के कारण जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सका। विपक्षी सं0–6 के वाहन मालिक का पता थाने (महाराष्ट्र) प्रदर्शित हो रहा है।

वर्णित परिस्थिति में अभिलेख में संधारित कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि एक लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी पेंक नारायणपुर थाना कांड सं0–19/2021, दिनांक–20.03.2021, धारा–414/34 भा0द0वि0 एवं 30 (ii) कोल माईन्स एक्ट के अन्तर्गत जप्त वाहन एवं उसपर लदा कोयला के संदर्भ में अब तक किसी के द्वारा भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादियों को निबंधित डाक से नोटिस भेजे जाने के बाद भी सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित रहना और अपने बचाव में अब तक किसी भी तरह का कोई ठोस प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाना उनके इस वाद में रूची के अभाव को दर्शाता है। बिना वैध कागजात के कोयले का अवैध परिवहन करने से सरकार को राजस्व की क्षति हुई है। अतः जप्त वाहन को अवैध रूप से कोयला का खनन कर परिवहन करने के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षियों को किसी भी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में इस वाद को और आगे बढ़ाने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–16/2023, दिनांक–14.02.2023 को स्वीकृत करते हुए 1. बजाज डिस्कवर मोटर साईकिल रजि0 नं0–JH09F-3667 एवं उस पर लदा करीब 12 बोरी कच्चा कोयला 2. बजाज मोटरसाईकिल चेचिस सं0–MD2DSDZZNCH 15408 एवं ईंजन सं0–SGBNH96134 उस पर लदा करीब 12 बोरी कच्चा कोयला 3. बजाज मोटर साईकिल चेचिस–DHVBL06485 बाकी घिसा हुआ, एवं ईंजन सं0–DHGBLJ05912 उस पर लदा करीब 12 बोरी कच्चा कोयला 4. पैशन प्रो मोटर साईकिल रजि0 सं0–JH09U-4963 एवं उस पर लदा करीब 12 बोरी कच्चा कोयला 5. बजाज मोटर साईकिल रजि0 नं0–JH09G-0596 एवं उस पर लदा करीब 12 बोरी कच्चा कोयला 6. होण्डा साईन मोटरसाईकिल रजि0 सं0–MH04EG-5696 एवं उस पर लदा करीब 12 बोरी कच्चा कोयला को राज्य सरकार के हित में राजसात् (Confiscate) किया जाता है साथ ही जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को निदेश दिया जाता है कि जप्त

करीब कुल 03 टन अवैध कोयला को निलामी के माध्यम से बिक्री कर प्राप्त राशि नजारत अथवा उचित शीर्ष में जमा करना सुनिश्चत करेंगें। उपरोक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

03.7.23

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

03.7.23

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.20 15:33:32 +05:30
Location: 192.168.1.110